



प्रेस नोट इटावा पुलिस दिनांक- 27.09.2025

#OPERATION CONVICTION

इटावा पुलिस/अभियोजन की प्रभावी पैरवी के चलते आज दिनांक 27.09.2025 को अभियोग में सजा करायी गयी है।

1. थाना इकदिल

इटावा पुलिस/अभियोजन की प्रभावी पैरवी के चलते 02 अभियुक्तों को मा0 न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास व 25,000 रु0 अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

जनपद में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही कराये जाने तथा मा0 न्यायालय से दण्डित कराये जाने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री बृजेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में थाना इकदिल, व मानीटरिंग सैल द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुये 02 अभियुक्तों को मा0 न्यायालय इटावा द्वारा आजीवन कारावास व 25,000 रु0 अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया।

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 09.01.2024 को थाना इकदिल क्षेत्र के अन्तर्गत अभिक्तगणों द्वारा एकराग्न होकर वादिया के भाई आशाराम व भाभी को फावडे व ईट से कुचल कर हत्या कर देने के सम्बन्ध में हुई घटना के बारे में सूचना दी गयी जिसमें अभियुक्त 1.अमित पुत्र आशाराम 2. राहुल पुत्र आशाराम नि0गण नगला पूठ थाना इकदिल जनपद इटावा अभियुक्त के बारे में सूचना दी गयी जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर दिनांक 09.01.2024 को दी गयी सूचना के आधार पर थाना हाजा पर मु0अ0सं0-08/2024 धारा 147/148/149/302/34 भादवि में पंजीकृत किया गया।

उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में विवेचना अधिकारी द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा इस प्रकरण में सतत निगरानी बनाये रखते हुये दिये गये निर्देशानुसार अभियोग के गवाहों को थाना इकदिल पुलिस टीम, पैरोकार का0 भीम चौधरी व एवं मानीटरिंग टीम व एडीजीसी श्री वीरेन्द्र सिंह द्वारा नियत तिथियों पर प्रस्तुत करते हुये व अन्य साक्ष्यों को मा0 न्यायालय इटावा के समक्ष पेश करते हुए प्रभावी एवं सख्त पैरवी की गयी। जिसके परिणामस्वरूप आज दिनांक 27.09.2025 को अन्तर्गत धारा 147/148/149/302/34 भादवि में मा0 न्या0 एडीजे/एफटीसी-2, इटावा के द्वारा अभियुक्तगणों को आजीवन कारावास व 25000 रु0 अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया।

सजायाफ्ता अपराधी

- 1.अमित पुत्र आशाराम निवासी नगला पूठ थाना इकदिल जनपद इटावा।
2. राहुल पुत्र आशाराम निवासी नगला पूठ थाना इकदिल जनपद इटावा।